भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 232
उत्तर देने की तारीख : 02/12/2025

दिव्यांगों के लिए सुगम्य स्कूल परिसर

232. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप सभी सरकारी और निजी स्कूल परिसरों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो जिन स्कूलों को अभी सुगम्य बनाया जाना है उनकी संख्या और प्रतिशत क्या है;

(ग) स्कूलों और कॉलेजों में पूर्ण सुगम्यता की स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या रूपरेखा है ; और

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई विशेष धनराशि आवंटित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): जी, नहीं। चूंकि स्कूल के भवनों का निर्माण कार्य और अनुरक्षण सहित शिक्षा मुख्यतः संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और 'निर्माण कार्य, भूमि और भवन' राज्य सूची के तहत आते हैं इसलिए स्कूल अवसंरचना में सुगम्यता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 41, 44 और 45 के अनुसार समुचित सरकार की है।

केंद्र सरकार सभी स्कूलों में सुगम्यता का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप, बाधा-मुक्त पहुंच के निर्माण के लिए, केंद्रीय रूप से

प्रायोजित योजना – 'समग्र शिक्षा और पीएम-श्री' के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए, रैंप, हैंडरेल, सुगम्य शौचालय और अन्य समावेशी शिक्षा (आईई) शामिल हैं।

शिक्षा मंत्रालय की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई+) रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार, देश के 14.71 लाख स्कूलों में से 11.64 लाख स्कूलों (79.12%) में रैंप हैं, 8.08 लाख स्कूलों (54.92%) में हैंडरेल वाले रैंप हैं, और 5.23 लाख स्कूलों (35.55%) में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के अनुकूल शौचालय हैं।

(ग): सरकार ने स्कूलों के लिए "*शैक्षिक संस्थानों के लिए सुगम्यता कोड*" और विश्वविद्यालयों के लिए "*उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सुगम्यता दिशा-निर्देश और मानक*" अधिसूचित किए हैं। ये फ्रेमवर्क नई अवसंरचना के लिए क्रॉस-डिसेबिलिटी मानक का सख्ती से पालन करना अनिवार्य बनाते हैं और मौजूदा परिसरों के लिए लागत-प्रभावी रेट्रोफिटिंग समाधान प्रदान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि रैंप, सुगम्य शौचालय, और सहायक प्रौद्योगिकी जैसी सुविधाएं सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध हों।

(घ): सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण में, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) के समक्ष रखे गए उनके प्रस्तावों के आधार पर, सहायता देती है, जैसे समग्र शिक्षा और पीएम-श्री योजना के माध्यम से रैंप, हैंडरेल वाले रैंप और बाधा-मुक्त शौचालय उपलब्ध कराना ।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक व्यापक योजना- 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा)' का कार्यान्वयन करता है। इस योजना के तहत, "बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण की योजना" (सीबीएफई योजना) नामक एक उप-योजना है जिसके माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के अनुसार सरकारी स्कूलों, विश्वविद्यालयों और कॉलेज परिसरों सहित मौजूदा सरकारी भवनों में बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए केवल मांग के आधार पर अनुदान जारी किया जाता है।

*****